

# हरियाणा रोडवेज: अप्रेंटिस के लिए 16 से 22 जनवरी तक करें आवेदन

23 से 25 जनवरी तक जमा कराने होंगे दस्तावेज

भास्कर न्यूज़ | हिस्सार

शिक्षु अधिनियम-1961 के तहत हरियाणा राज्य परिवहन के हिस्सार कार्यालय में औद्योगिक शिक्षुओं का एक वर्ष के लिए चयन किया जाना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल <https://www.apprenticeshipindia.gov.in> पर 16 से 22 जनवरी 2024 तक कर सकते हैं।

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हिस्सार कार्यालय में मैकेनिक डीजल के लिए 30, वेल्डर के लिए 9, इलेक्ट्रीशियन के लिए 12, मोटर मैकेनिक के लिए 24, कारपेंटर के लिए 9, कोपा के लिए 3, टरनर के लिए 2, स्टेनो हिंदी के लिए 3 तथा पेंटर के लिए 2 शिक्षुओं का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि

उम्मीदवार हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार अपना फोटो, आधार कार्ड, दसवीं कक्षा की अंक तालिका, आईटीआई द्वारा जारी आईटीआई पास की मूल अंक तालिका, जाति प्रमाण-पत्र व आवासीय प्रमाण-पत्र अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन करने उपरांत उम्मीदवारों द्वारा कार्यालय में 23 से 25 जनवरी तक दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य है। यदि उम्मीदवार निर्धारित तिथि में दस्तावेज जमा नहीं करवाता है, तो उसके द्वारा किया गया ऑनलाइन आवेदन रद्द माना जाएगा। शिक्षुओं का चयन उनके द्वारा मैट्रिक एवं संबंधित आईटीआई ट्रेड में प्राप्त अंकों की मेरिट व दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।